

जिला जनसम्पर्क कार्यालय नरसिंहपुर म.प्र.

परिशिष्ट 2 में निर्धारित 17 बिन्दुओं की जानकारी

क्र.	प्र न	उत्तर
1.	संगठन, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण	उपसंचालक जनसम्पर्क नरसिंहपुर के जिला स्तरीय भासकीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन
2.	अधिकारी-कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकार	जिला स्तरीय भासकीय कार्यों का प्रचार-प्रसार तथा कार्यालयीन दायित्वों का निर्वहन
3.	निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा लेखा जोखा शामिल है	जिला स्तरीय कार्यों के निर्वहन हेतु निर्णय एवं पर्यवेक्षण
4.	कर्मचारियों के कर्तव्य के निर्वहन के लिए तय किए गए मापदण्ड	म.प्र. भासकीय नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड
5.	कर्मचारियों के लिए उनके कर्तव्य के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश, मैनूअल तथा अभिलेख जो संधारित किए गए हैं	सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित नियम तथा अभिलेखों का संधारण किया जायेगा
6.	नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों का क्रमबद्ध प्रपत्र	निर्देशानुसार निर्धारित व्यवस्था के तहत क्रियान्वित होने वाले अधिनियम एवं दस्तावेजों का प्रपत्र अनुसार क्रमबद्ध संधारण होगा
7.	इसके प्रबंधन तथा नीति निर्धारण के बारे में जनसाधारण से विचार-विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार के लिए की गई व्यवस्था का विवरण	फिलहाल जनसाधारण से विचार-विमर्श नहीं किया गया है
8.	दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकाय जिनका गठन सलाहकार के रूप में किया गया है और क्या ये बोर्ड, कौंसिल, कमेटी या अन्य निकाय की बैठकें जनसाधारण के लिए सुलभ हैं और क्या इनकी कार्रवाई टीप जनता को उपलब्ध होती है	जिला स्तर पर जनसम्पर्क कार्यालय में सदस्यों वाले बोर्ड, कौंसिल, कमेटी या अन्य निकाय के गठन का सलाहकार के रूप में प्रावधान करने का उल्लेख नहीं है
9.	इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दूरभाष सूची	1. सुनील सिलावट, लोक सूचना अधिकारी कार्या.दूर.-230438, नि.230779 2. श्रीमती प्रेम कुमारी श्रीवास्तव, सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्या दूर.-230438
10.	इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय, जिसमें नियमों में प्रावधानित मुआवजा भी शामिल है	निर्धारित व्यवस्था के तहत मानदेय मुआवजा का भुगतान भासन के नियमानुसार किया जायेगा

11.	इसकी प्रत्येक एजेन्सी को दिया जाना बजट जिसमें प्लान, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है	जिला स्तर पर केवल जिला कार्यालय संचालित होने से अन्य एजेन्सी को बजट देने का प्रावधान नहीं होगा
12.	अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रणाली जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों को विवरण हो	जनसम्पर्क कार्यालय में आम हितग्राहियों के लिए अनुदान कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं है केवल मीडिया प्रतिनिधियों हेतु संचालनालय एवं भासन स्तर से आर्थिक सहायता चिकित्सा हेतु उपलब्ध होती है
13.	रियायत, परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदाय किए गए हैं उनका विवरण	कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर रियायत, परमिट या अधिकार पत्र प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है
14.	इसके पास उपलब्ध जानकारियों का विवरण जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में बनाया गया है	लोक सूचना अधिकारी के पास विभाग द्वारा निर्धारित जानकारी उपलब्ध कराई जाकर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में बनाई जायेगी
15.	जनसाधारण को जानकारियां प्राप्त करने के लिए जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनका विवरण लायब्रेरी, रीडिंग रूम तथा कार्य के घण्टे यदि वे कार्यरत हों तो	जिला कार्यालय द्वारा केवल प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी सुलभ कराई जायेगी—इस कार्यालय में जनसाधारण के लिए लायब्रेरी, रीडिंग रूम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है
16.	जनसम्पर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	संचालनालय द्वारा श्री सुनील सिलावट, उपसंचालक को लोक सेवक अधिकारी बनाया गया है जबकि कार्यालय की श्रीमती प्रेमकुमारी श्रीवास्तव को लोक सेवक अधिकारी की अनुपस्थिति पर केवल आवेदन प्राप्त हेतु सहायक बनाया गया है
17.	अन्य जानकारियों जो निर्धारित की जायेंगी	प्रदेश भासन द्वारा निर्धारित बिन्दु अनुसार जानकारी तैयार की जायेगी

उपसंचालक
जिला जनसम्पर्क कार्यालय
नरसिंहपुर म.प्र.